प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक – 18.07.2021

लगभग 25 लाख रूपये कीमत की 03 किलो 900 ग्राम अफीम व 01 ट्रक के साथ 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार (थाना अंतू)–

आज दिनांक 18.07.2021 को एसटीएफ यूनिट लखनऊ (उ0प्र) के निरीक्षक दिलीप कुमार तिवारी मय टीम व थाना अंतू के उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद दुबे मय हमराह की संयुक्त टीम द्वारा थाना क्षेत्र अंतू के लोहिया नगर बैरियर के पास से मुखबिर खास की सूचना पर चेकिंग के दौरान एक ट्रक नं0 यूपी 25 डीटी 9833 को चेक किया गया जिसमें से 03 व्यक्तियों को 03 किलो 900 ग्राम अफीम व 01 ट्रक के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 294/21 धारा 8/21/23(सी) एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण– गिरफ्तार अभियुक्त गुड्डू ने पूछताछ में बताया कि बरामद ट्रक मेरा स्वयं का है जिससे मैं माल ढुलाई का काम कई वर्षों से करता हूं एवं इसी ट्रक से रांची, झारखण्ड से अवैध मादक पदार्थ अफीम आदि कम दामों में लाकर उत्तराखण्ड, पंजाब व हरियाणा आदि राज्यों में मुनाफे पर बेंच देता हूं। कुछ दिन पहले लखनऊ में पुलिस द्वारा मेरा माल पकड़ा गया था। मेरे इस काम में संजीव व वीरेन्द्र मेरा सहयोग करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

01 गुड्डू सैफी पुत्र स्व0 अलीजान सैफी निवासी मकान नं0 41 सरदार, थाना भंमोरा जनपद बरेली उ0प्र0।

02. संजीव कुमार शर्मा पुत्र कड़ेराम शर्मा निवासी बल्लिया फरीदापुर, थाना फतेहगंज ईस्ट, जनपद बरेली उ0प्र0।

03. वीरेन्द्र पुत्र सेवाराम निवासी रजवाड़ा थाना पटवई, जनपद रामपुर उ0प्र0।

बरामदगी–

01. 03 किलो 900 ग्राम अफीम

02. एक ट्रक नं0 यूपी 25 डीटी 9833

पुलिस टीम–

☐ निरीक्षक श्री दिलीप कुमार तिवारी, उ0नि0 मनोज कुमार पाण्डेय, मु0आ0 रूद्र नारायण उपाध्याय, कां0 कौशलेन्द्र प्रताप सिंह, कां0 विजय वर्मा एसटीएफ यूनिट लखनऊ (उ0प्र0)

☐ उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद दुबे, कां0 रिंकू सिंह थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़।

फर्जी शस्त्र लाइसेंस, 12 बोर पम्प एक्शन एसबीबीएल गन व 10 अदद जिन्दा कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तारः—(थाना महेशगंज)

जनपद के थाना महेशगंज के थानाध्यक्ष श्री आशुतोष त्रिपाठी को यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के महमदपुर चारपुरा में एक व्यक्ति मोहम्मद मुर्तजा के द्वारा फर्जी तरीके से शस्त्र लाइसेंस बनवाकर शस्त्र का प्रयोग किया जा रहा है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष श्री आशुतोष त्रिपाठी मय हमराह द्वारा मोहम्मद मुर्तजा उपरोक्त को उसके घर से गिरफ्तार किया गया तथा उसके कब्जे से एक अदद फर्जी शस्त्र लाइसेंस, एक अदद 12 बोर पम्प एक्शन एसबीबीएल गन व 10 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 150/21 धारा 419, 420, 465, 467, 468, 471, 120बी भादंवि व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण– गिरफ्तार अभियुक्त मोहम्मद मुर्तजा ने पूछताछ में बताया कि यह शस्त्र लाइसेंस मेरे एक मित्र बनवाकर दिया है। इसी शस्त्र लाइसेंस पर मैंने अपने साथी के साथ जाकर लखनऊ से एक 12 बोर पम्प एक्शन एसबीबीएल गन व 10 अदद जिन्दा कारतूस खरीदा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

मोहम्मद मुर्तजा पुत्र खलील अहमद निवासी महमदपुर चारपुरा थाना महेशगंज,जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी–

01. एक अदद फर्जी शस्त्र लाइसेंस।
02. एक अदद 12 बोर पम्प एक्शन एसबीबीएल गन व 10 अदद जिन्दा कारतूस

पुलिस टीम– थानाध्यक्ष श्री आशुतोष त्रिपाठी मय हमराह थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।